न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1213/2024

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भादरराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 05/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 342/262 के ख0न0 72/2 की 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसके सोहनलाल पुत्र रतनाराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है एवं रौ मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 242/262 के ख0न0 76/2 की बिघा 1 बिस्वा भूमि जिसके भादर राम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर मुताबिक बैयनामा खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 242/262 के ख0न0 72/2 की 3.048 हैक्ट भूमि में से 6 बीघा भूमि का बैचान होने के कारण वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 72/2 की 1.5300 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि दर्ज कर दी गई एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खाता तरमीम कर दिया गया। रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के नाम नाथों वाला नामान्तरण संख्या 1389 दिनांक 12.03.2016 से पूर्वी दिशा में मुताबिक बैयनामा के अनुसार ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि उत्तर दिशा की बजाय पूर्वी दिशा तरमीम की जाना चाहिए थी इसलिए रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 76/2 में से 76/3 रकबा 1.5180 हैक्ट उत्तरी दिशा की बजाय पूर्वी दिशा में तरमीम करवा पाने के अधिकारी है। इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वे वाद भूमि का का नक्शा ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि उत्तर दिशा की बजाय ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि पूर्वी दिशा में तरमीम करवा लेवे जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित की जावे की वादी के एक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदीया पेश की जो की शामिल मिसल कि गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 242/262 के ख0न0 72/2 की 3.048 हैक्ट भूमि में से 6 बीघा भूमि का बैचान होने के कारण वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 72/2 की 1.5300 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि दर्ज कर दी गई एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खाता तरमीम कर दिया गया। रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के नाम नाथों वाला नामान्तरण संख्या 1389 दिनांक 12.03.2016 से पूर्वी दिशा में मुताबिक बैयनामा के अनुसार ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि उत्तर दिशा की बजाय पूर्वी दिशा तरमीम की जाना चाहिए थी इसलिए रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 76/2 में से 76/3 रकबा 1.5180 हैक्ट उत्तरी दिशा की बजाय पूर्वी दिशा में तरमीम करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 342/262 के ख0न0 72/2 की 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसके सोहनलाल पुत्र रतनाराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है एवं रौी मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 242/262 के ख0न0 76/2 की बिघा 1 बिस्वा भूमि जिसके भादर राम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर मुताबिक बैयनामा खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता स0 242/262 के ख0न0 72/2 की 3.048 हैक्ट भूमि में से 6 बीघा भूमि का बैचान होने के कारण वादी के नाम रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 72/2 की 1.5300 हैक्ट भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि दर्ज कर दी गई एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का खाता तरमीम कर दिया गया। रोही मौजा भगवानसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के नाम नाथों वाला नामान्तरण संख्या 1389 दिनांक 12.03.2016 से पूर्वी दिशा में मुताबिक बैयनामा के अनुसार ख0न0 76/3 की 1.5180 हैक्ट भूमि उत्तर दिशा की बजाय पूर्वी दिशा तरमीम की जाना चाहिए थी इसलिए रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 76/2 में से 76/3 रकबा 1.5180 हैक्ट उत्तरी दिशा की बजाय पूर्वी दिशा में तरमीम करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 76/2 में से 76/3 रकबा 1.5180 हैक्ट भूमि उत्तरी दिशा की बजाय पूर्वी दिशा में तरमीम की घोषणा की जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1213 / 2024
अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भादरराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1213 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के ख0न0 76/2 में से 76/3 रकबा 1.5180 हैक्ट भूमि उत्तरी दिशा की बजाय पूर्वी दिशा में तरमीम की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:15 IST
Reason: SelfAttested